सचिका सं0–07/बजट–46–02/2022 – 87 (7A)

बिहार सरकार

<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

प्रेषक,

शंभु शरण, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक– 17/02/2026

विषय:– राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रू0 603,68,00,000/–(रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से रू0 25,00,00,000/–(रूपये पच्चीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना द्वारा इस योजना अर्थात् लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सुपौल में 150 नामांकन क्षमता के साथ 630 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये रु० 603,68,00,000/–(रुपये छः सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन (प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव) की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–108(7), दिनांक--11.07.2022 के द्वारा दी गयी है।

2–इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश सं0 एव दिनांक
1	2023–24	5,00,00,000	सं0–195(7), दिनांक–28.08 2023
2	2023–24	20,00,00,000	सं0–641(7), दिनांक–14.03.2023
3	2024–25	1,50,00,000	सं0–80(7), दिनांक--25.06.2024
4	2024–25	25,00.00.000	स0–131(7), दिनांक–16.08.2024
5	2024–25	25.00.00.000	स0–151(7), दिनांक–29 08 2024
6	2024–25	42,66,00,000	सं0–306(7), दिनांक–23.12.2024
7	2024–25	5,00,00,000	सं0–495(7), दिनांक–10 03.2025
8	2024–25	27,34,00,000	सं0–539(7), दिनांक–20 03 2025
9	2024–25	60,00,00,000	स0–590(7), दिनांक–28 03.2025
10	2025–26	10,00,00,000	स0–275(7), दिनांक–02.09.2025
11	2025–26	10,00,00,000	स0–350(7), दिनांक–06.10.2025
12	2025–26	7,00,00,000	सं0–442(7), दिनाक–12.12 2025
	कुल–	2,38,50,00,000	

3– अतएव राज्य के सुपौल जिला मे लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603,68,00,000/–(रुपये छ. सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राज्य योजना मद से रू0 25,00,00,000/–(रूपये पच्चीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–108(7), दिनांक–11 07 2022 मे निहित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

5– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 ,7111/वि०(2), दिनांक–28.07.2022 एवं 12888/वि0, दिनांक– 03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6– इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–050–भूमि– 0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड–20–4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0103–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित/द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

7– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

9–बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे ।

10– प्रस्ताव एवं प्रारूप मे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11– प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–07/बजट–46–02/2022 के पृष्ठ–63/टि0 मे प्राप्त है।

12–राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13–यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–07/बजट–46–02/2022 – 87 (7A)/स्वा0, पटना, दिनांक– / /2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रमडलीय आयुक्त, कोशी प्रमडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।